भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1777

10 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

एनएफएसए के तहत प्रदत्त राशन के संबंध में शिकायतें

1777. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले राशन की कम मात्रा, खराब गुणवत्ता, कीट संक्रमण इत्यादि के संबंध में कई राज्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) डिजिटल राशन वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद भी राशन कार्डों की नकल और फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति है; और

(ड.) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ख): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत शासित होती है और इसका संचालन केंद्र तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अंतर्गत होता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्यान्नों का आवंटन, पात्र लाभार्थियों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, टीपीडीएस के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण, उचित दर दुकान के डीलरों को लाइसेंस जारी करना, उचित दर दुकानों (एफपीएस) के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण आदि की परिचालनात्मक जिम्मेदारियाँ संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती हैं।

...2/-

एनएफएसए के तहत उपलब्ध कराए गए राशन में खराब गुणवत्ता, कीट संक्रमण आदि के बारे में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कोई शिकायत नहीं मिली है। सरकार ने भारत सरकार के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को खरीद से लेकर वितरण तक खाद्यान्नों के गुणवत्ता मानकों को समान रूप से बनाए रखने के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली तैयार और जारी की है। हालाँकि, जब भी पीडीएस के अन्य मामलों से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन्हें जांच और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को भेज दिया जाता है। इसके अलावा, सरकार ने डीलरों द्वारा कम वजन का राशन देने की शिकायतों से निपटने के लिए कड़े उपचारात्मक उपाय किए हैं। इनमें उचित दर दुकानों पर तौल तराजू के साथ ई-पीओएस डिवाइस का एकीकरण शामिल है, यदि एफपीएस पर तौल तराजू में निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न तौला जा रहा है, तो ऐसी घटनाओं के लिए लेनदेन पूरा नहीं होगा।

(ग): वर्ष 2024-25 के दौरान, सरकार ने एक व्यापक डाटा विश्लेषण अभ्यास किया, जिसमें कई प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) - जैसे 100 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थी, मूक राशन कार्ड, डुप्लिकेट राशन कार्ड और एकल सदस्य राशन कार्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के लाभार्थी -पीडीएस डाटाबेस पर लागू किए गए थे। इस डाटाबेस को अन्य मंत्रालयों [आधार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)] के डाटासेट के साथ भी मिलान किया गया था। इस अभ्यास ने लगभग 8.51 करोड़ लाभार्थियों (2024 से 2025) को चिह्नित किया और इन चिह्नित लाभार्थियों की सूची संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ क्षेत्र सत्यापन करने और इन मामलों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए साझा की गई। आज तक, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उपरोक्त चिह्नित लाभार्थियों में से 2.12 करोड़ लाभार्थियों को हटा दिया है

(घ) से (ङ): यदि कोई व्यक्ति लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो वह आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत दंड का पात्र होगा। इस प्रकार, यह आदेश राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को इन आदेशों के प्रासंगिक प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार देता है।

*****